

## विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन करने की सरलीकृत प्रक्रिया

नये विद्युत कनेक्शन (निम्नदाब, उच्चदाब और अति उच्चदाब) लेने हेतु आवेदक सी.एस.पी.डी.सी.एल. की वेबसाइट [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in) पर जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकता है।

विभिन्न प्रयोजनों हेतु आवेदन के साथ दिये जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:-

### 1. घरेलू/बी.पी.एल.प्रयोजन हेतु --

- i. आवेदक का पहचान संबंधी फोटो युक्त परिचय पत्र यथा - आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाईसेंस, सर्विस पहचान पत्र, वोटर आई.डी.कार्ड, पेन कार्ड, फोटो युक्त पासबुक, मनरेगा रोजगार कार्ड, फोटो युक्त; पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा कार्ड में से कोई एक।
- ii. परिसर स्वामित्व हेतु दस्तावेज/किराये के परिसर में कनेक्शन हेतु आवेदन करने पर परिसर स्वामी का अनापत्ति प्रमाण पत्र

### 2. गैर घरेलू प्रयोजन हेतु-

- i. आवेदक का पहचान संबंधी फोटो युक्त परिचय पत्र यथा आवेदक का पहचान संबंधी फोटो युक्त परिचय पत्र यथा - आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाईसेंस, सर्विस पहचान पत्र, वोटर आई.डी. कार्ड, पेन कार्ड, फोटो युक्त पासबुक, मनरेगा रोजगार कार्ड, फोटो युक्त; पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा कार्ड में से कोई एक।
- ii. परिसर स्वामित्व हेतु दस्तावेज/किराये के परिसर में कनेक्शन हेतु आवेदन करने पर परिसर स्वामी का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

### 3. कृषि/कृषि एलाईड प्रयोजन हेतु-

- i. परिसर स्वामित्व हेतु दस्तावेज यथा - नवीनतम खसरा ।
- ii. आवेदक का पहचान संबंधी फोटो युक्त परिचय पत्र यथा - आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाईसेंस, सर्विस पहचान पत्र, वोटर आई.डी.कार्ड, पेन कार्ड, फोटो युक्त पासबुक, मनरेगा रोजगार कार्ड, फोटो युक्त; पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा कार्ड में से कोई एक।

### 4. औद्योगिक प्रयोजन हेतु --

- i. परिसर स्वामित्व/आधिपत्य हेतु दस्तावेज
- ii. भागीदारी फर्म/कंपनी इत्यादि की दशा में प्राधिकार पत्र और स्वयं की फर्म की दशा में फोटो युक्त परिचय पत्र यथा - आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाईसेंस, सर्विस पहचान पत्र, वोटर आई.डी.कार्ड, पेन कार्ड, फोटो युक्त पासबुक, मनरेगा रोजगार कार्ड, फोटो युक्त; पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा कार्ड में से कोई एक।



5. सार्वजनिक प्रयोजन हेतु-

i. आवेदन सह अनुबंध पत्र के अतिरिक्त कोई दस्तावेज आवश्यक नहीं ।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

आवेदक उपरोक्तानुसार दस्तावेजों के साथ आवेदन सीएसपीडीसीएल की वेबसाइट [www.cspdcl.co.in](http://www.cspdcl.co.in) से कर सकता है, जिसके लिए आवेदक को निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी:-

- i. आवेदक वितरण कंपनी की वेबसाइट [www.cspdcl.co.in](http://www.cspdcl.co.in) पर उपलब्ध "Online New Connection" लिंक की सहायता से अपना यूजर-एकाऊंट बनाएँ ।
- ii. आवेदक निर्मित यूजर एकाऊंट में लॉगिन कर नये विद्युत कनेक्शन का आवेदन ऑन लाईन पर भरें व उपरोक्तानुसार दस्तावेजों की स्कैन-कॉपी अपलोड करें ।
- iii. यदि स्कैन कॉपी अपलोड नहीं की जाती है, तो आवेदक को 7 दिन के अंदर दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।
- iv. ऑनलाईन आवेदन में उपलब्ध "Submit" बटन क्लिक करें। आवेदक का आवेदन स्वतः संबंधित विद्युत कार्यालय में जमा हो जायेगा और उन्हें संदर्भ हेतु अस्थायी पंजीयन संख्या प्राप्त हो जावेगी ।

31

आवेदन स्वीकृत करने/कनेक्शन जारी करने की कार्यालयीन प्रक्रिया

1. निम्न दाब कनेक्शन हेतु (औद्योगिक कनेक्शन के अतिरिक्त)

अ. शहरी क्षेत्र में 10 किलो वॉट और ग्रामीण क्षेत्र में 5 किलो वॉट भार तक के आवेदन जो विद्यमान निम्न दाब लाइन के खम्भे से 30 मीटर के अंदर हैं, की प्रक्रिया :-

i. संबंधित विद्युत कार्यालय के प्रभारी ऑन लाईन आवेदन में भरी जानकारी अथवा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जाँच करने के पश्चात् आवेदक को स्थायी पंजीयन संख्या (बी.पी. कमांक) जारी करेगा।

समय सीमा - 2 कार्य दिवस

ii. शहरी क्षेत्र में 10 किलो वॉट और ग्रामीण क्षेत्र में 5 किलो वॉट भार तक के आवेदन जो विद्यमान निम्न दाब लाइन के खम्भे से 30 मीटर के अंदर हैं, उन्हें संबंधित विद्युत कार्यालय के प्रभारी स्वीकृत कर आवेदित भार के अनुसार निर्धारित राशि (प्रक्रिया शुल्क, सुरक्षा निधि, सर्विस कनेक्शन प्रभार) हेतु मॉग पत्र जारी करेंगे।

समय सीमा - स्थाई पंजीयन संख्या जारी करने की तिथि से 2 कार्य दिवस

iii. आवेदक - उसे जारी मॉग पत्र की राशि, मॉग पत्र जारी होने के 7 कार्य दिवस में संबंधित कार्यालय में अथवा ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। समय सीमा में राशि जमा न होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। शासकीय आवेदनों हेतु उक्त समय सीमा लागू नहीं होगी।

समय सीमा - मॉग पत्र जारी करने की तिथि से 7 कार्य दिवस

iv. आवेदक द्वारा निर्धारित राशि जमा करने के पश्चात् संबंधित विद्युत कार्यालय आवेदक को कनेक्शन हेतु मीटर स्थापित कर कनेक्शन जारी करेगा।

समय सीमा - राशि जमा करने की तिथि से 3 कार्य दिवस (शहरी क्षेत्र) और 7 कार्य दिवस (ग्रामीण क्षेत्र)

ब. शहरी क्षेत्र में 10 किलो वॉट और ग्रामीण क्षेत्र में 5 किलो वॉट से अधिक भार अथवा आवेदित स्थल की विद्यमान निम्न दाब लाइन के खम्भे से 30 मीटर से अधिक दूरी होने पर आवेदन की प्रक्रिया:-

i. संबंधित विद्युत कार्यालय के प्रभारी "ऑन लाईन" आवेदन में भरी जानकारी अथवा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जाँच करने के पश्चात् आवेदक को स्थायी "पंजीयन संख्या" (बी.पी. कमांक) जारी करेगा।

समय सीमा - 2 कार्य दिवस

31

- ii. संबंधित विद्युत कार्यालय के प्रभारी प्रक्रिया शुल्क हेतु आवेदक को मॉग पत्र जारी करेंगे।  
समय सीमा - स्थाई पंजीयन संख्या जारी करने की तिथि से 2 कार्य दिवस
- iii. आवेदक द्वारा प्रक्रिया शुल्क के मॉग पत्र की राशि जमा करने के पश्चात् संबंधित विद्युत कार्यालय आवेदक के परिसर तक विद्युत लाइन विस्तार हेतु सर्वे की सूचना आवेदक को जारी करते हुए सर्वे का कार्य सम्पन्न करेगा और तत्संबंधी भार स्वीकृति प्रकरण और प्राक्कलन तैयार कर सक्षम अधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रेषित करेगा।  
समय सीमा - राशि जमा करने की तिथि से 5 कार्य दिवस (शहरी क्षेत्र) और 7 कार्य दिवस (ग्रामीण क्षेत्र)
- iv. सक्षम अधिकारी अपने क्षेत्र के विद्युत कार्यालयों से प्राप्त प्राक्कलन/भार स्वीकृति प्रकरण स्वीकृत करेगा और इसकी सूचना संबंधित विद्युत कार्यालय को प्रेषित करेगा। संबंधित विद्युत कार्यालय इसकी सूचना मॉग पत्र सहित आवेदक को भुगतान हेतु देगा। जारी किए जाने वाले मॉग पत्र में स्वीकृत प्राक्कलन की राशि/सुपर विजन राशि, सुरक्षा निधि और सर्विस कनेक्शन राशि का स्पष्ट उल्लेख होगा।  
समय सीमा - (मॉग पत्र जारी करने हेतु) प्राक्कलन प्रेषित करने की तिथि से 10 कार्य दिवस (शहरी क्षेत्र) और 22 कार्य दिवस (ग्रामीण क्षेत्र)
- v. आवेदक - उसे जारी मॉग पत्र की राशि, मॉग पत्र जारी होने के 15 कार्य दिवस में संबंधित कार्यालय में अथवा ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। समय सीमा में राशि जमा न होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। शासकीय आवेदनों हेतु उक्त समय सीमा लागू नहीं होगी।  
समय सीमा - मॉग पत्र जारी करने की तिथि से 15 कार्य दिवस
- vi. आवेदक द्वारा निर्धारित राशि जमा करने के पश्चात् संबंधित संभागीय कार्यालय लाइन विस्तार हेतु कार्यादेश जारी करेंगे।  
समय सीमा - राशि जमा करने की तिथि से 3 कार्य दिवस
- vii. कार्यादेश जारी होने के पश्चात् संबंधित कार्यालय लाइन विस्तार का कार्य पूर्ण कर इसकी सूचना संबंधित संभागीय कार्यालय/जोन/वितरण केन्द्र को प्रेषित करेगा और लाइन विस्तार कार्य संबंधित कार्यालय को हस्तांतरित करने की कार्यवाही करेगा।  
समय सीमा - कार्यादेश की तिथि से 60 कार्य दिवस (कृषि प्रयोजन को छोड़कर)/90 कार्य दिवस (कृषि प्रयोजन हेतु)
- viii. संबंधित विद्युत कार्यालय कार्य पूर्ण होने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् आवेदक के परिसर में मीटर स्थापित करेगा और आवेदक को कनेक्शन लेने हेतु 1 माह की सूचना जारी करेगा।

31

समय सीमा - कार्य पूर्ण होने की सूचना प्राप्त होने की तिथि से 3 कार्य दिवस

## 2. निम्न दाब कनेक्शन हेतु (औद्योगिक कनेक्शन हेतु):-

अ. शहरी क्षेत्र में 10 किलो वॉट और ग्रामीण क्षेत्र में 5 किलो वॉट भार तक के आवेदन जो विद्यमान निम्न दाब लाइन के खम्भे से 30 मीटर के अंदर हैं, की प्रक्रिया :-

- i. संबंधित विद्युत कार्यालय के प्रभारी ऑन लाईन आवेदन में भरी जानकारी अथवा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जाँच करने के पश्चात् आवेदक को स्थायी पंजीयन संख्या (बी.पी. क्रमांक) जारी करेगा।

समय सीमा - 2 कार्य दिवस

- ii. शहरी क्षेत्र में 10 किलो वॉट और ग्रामीण क्षेत्र में 5 किलो वॉट भार तक के आवेदन जो विद्यमान निम्न दाब लाइन के खम्भे से 30 मीटर के अंदर हैं, उन्हें संबंधित विद्युत कार्यालय के प्रभारी स्वीकृत कर आवेदित भार के अनुसार निर्धारित राशि (प्रक्रिया शुल्क, सुरक्षा निधि, सर्विस कनेक्शन प्रभार) हेतु मॉग पत्र जारी करेंगे।

समय सीमा -- स्थाई पंजीयन संख्या जारी करने की तिथि से 2 कार्य दिवस

- iii. आवेदक - उसे जारी मॉग पत्र की राशि, मॉग पत्र जारी होने के 7 कार्य दिवस में संबंधित कार्यालय में अथवा ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। समय सीमा में राशि जमा न होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। शासकीय आवेदनों हेतु उक्त समय सीमा लागू नहीं होगी।

समय सीमा -- मॉग पत्र जारी करने की तिथि से 7 कार्य दिवस

- iv. आवेदक द्वारा निर्धारित राशि जमा करने और उचित मूल्य के स्टाम्प पेप पर अनुबंध करने के पश्चात् संबंधित विद्युत कार्यालय आवेदक के परिसर में कनेक्शन हेतु मीटर स्थापित कर कनेक्शन जारी करेगा।

समय सीमा - राशि जमा करने की तिथि से 3 कार्य दिवस (शहरी क्षेत्र) और 7 कार्य दिवस (ग्रामीण क्षेत्र)

ब. शहरी क्षेत्र में 10 किलो वॉट और ग्रामीण क्षेत्र में 5 किलो वॉट से अधिक भार अथवा आवेदित स्थल की विद्यमान निम्न दाब लाइन के खम्भे से 30 मीटर से अधिक दूरी होने पर आवेदन की प्रक्रिया:-

- i. संबंधित विद्युत कार्यालय के प्रभारी "ऑन लाईन" आवेदन में भरी जानकारी अथवा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जाँच करने के पश्चात् आवेदक को स्थायी "पंजीयन संख्या" (बी.पी. क्रमांक) जारी करेगा।

समय सीमा - 2 कार्य दिवस

31

- ii. संबंधित विद्युत कार्यालय के प्रभारी प्रक्रिया शुल्क हेतु आवेदक को मॉग पत्र जारी करेंगे।  
समय सीमा - स्थाई पंजीयन संख्या जारी करने की तिथि से 2 कार्य दिवस
- iii. आवेदक द्वारा प्रक्रिया शुल्क के मॉग पत्र की राशि जमा करने के पश्चात् संबंधित विद्युत कार्यालय आवेदक के परिसर तक विद्युत लाइन विस्तार हेतु सर्वे की सूचना आवेदक को जारी करते हुए सर्वे का कार्य सम्पन्न करेगा और तत्संबंधी भार स्वीकृति प्रकरण और प्राक्कलन तैयार कर सक्षम अधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रेषित करेगा।  
समय सीमा - राशि जमा करने की तिथि से 5 कार्य दिवस (शहरी क्षेत्र) और 7 कार्य दिवस (ग्रामीण क्षेत्र)
- iv. सक्षम अधिकारी अपने क्षेत्र के विद्युत कार्यालयों से प्राप्त प्राक्कलन/भार स्वीकृति प्रकरण स्वीकृत करेंगे और इसकी सूचना संबंधित विद्युत कार्यालय को प्रेषित करेगा। संबंधित विद्युत कार्यालय इसकी सूचना मॉग पत्र सहित आवेदक को भुगतान हेतु देगा। जारी किए जाने वाले मॉग पत्र में स्वीकृत प्राक्कलन की राशि/सुपर विजन राशि, सुरक्षा निधि और सर्विस कनेक्शन राशि का स्पष्ट उल्लेख होगा।  
समय सीमा - प्राक्कलन प्रेषित करने की तिथि से 10 कार्य दिवस (शहरी क्षेत्र) और 22 कार्य दिवस (ग्रामीण क्षेत्र)
- v. आवेदक - उसे जारी मॉग पत्र/की राशि, मॉग पत्र जारी होने के 15 कार्य दिवस में संबंधित कार्यालय में अथवा ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। राशि जमा करने के साथ ही आवेदक वितरण कंपनी के साथ अनुबंध भी करेगा। समय सीमा में राशि जमा न होने/अनुबंध न करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। शासकीय आवेदनों हेतु उक्त समय सीमा लागू नहीं होगी।  
समय सीमा - मॉग पत्र जारी करने की तिथि से 15 कार्य दिवस
- vi. आवेदक द्वारा निर्धारित राशि जमा करने और उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध के पश्चात् संबंधित संभागीय कार्यालय लाइन विस्तार हेतु कार्यादेश जारी करेंगे।  
समय सीमा - राशि जमा करने और अनुबंध की तिथि (जो भी अंतिम हो) से 3 कार्य दिवस
- vii. कार्यादेश जारी होने के पश्चात् संबंधित कार्यालय लाइन विस्तार का कार्य पूर्ण कर इसकी सूचना संबंधित संभागीय कार्यालय/जोन/वितरण केन्द्र को प्रेषित करेगा और लाइन विस्तार कार्य संबंधित कार्यालय को हस्तांतरित करने की कार्यवाही करेगा।  
समय सीमा - कार्यादेश की तिथि से 60 कार्य दिवस

31-

viii. संबंधित विद्युत कार्यालय कार्य पूर्ण होने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् आवेदक के परिसर में मीटर स्थापित करेगा और आवेदक को कनेक्शन लेने हेतु 1 माह की सूचना जारी करेगा।

समय सीमा - कार्य पूर्ण होने की सूचना प्राप्त होने की तिथि से 3 कार्य दिवस

टीप :- आवेदक कनेक्शन लेने के पूर्व संबंधित ठेकेदार से जारी टेस्ट रिपोर्ट संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत न करने की स्थिति में कनेक्शन देने के पूर्व वितरण कंपनी के कनिष्ठ यंत्री अथवा उनसे उच्चस्थ अभियंता परिसर का निरीक्षण करेंगे।

### 3. उच्च एवं अति उच्च दाब कनेक्शन हेतु

i. संबंधित संभागीय कार्यालय के अभियंता "ऑन लाईन" आवेदन में भरी जानकारी अथवा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जांच करने के पश्चात् आवेदक को स्थायी "पंजीयन संख्या" (बी.पी.कमांक) जारी करेगा।

समय सीमा - 2 कार्य दिवस

ii. संबंधित विद्युत कार्यालय के प्रभारी प्रक्रिया शुल्क हेतु आवेदक को माँग पत्र जारी करेंगे।

समय सीमा - स्थाई पंजीयन संख्या जारी करने की तिथि से 2 कार्य दिवस

iii. आवेदक द्वारा प्रक्रिया शुल्क के माँग पत्र की राशि जमा करने के पश्चात् संबंधित विद्युत कार्यालय आवेदक के परिसर तक विद्युत लाइन विस्तार हेतु सर्वे की सूचना आवेदक को जारी करते हुए सर्वे का कार्य सम्पन्न करेगा और तत्संबंधी भार स्वीकृति प्रकरण और प्राक्कलन तैयार कर सक्षम अधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रेषित करेगा।

समय सीमा -

उच्च दाब कनेक्शन हेतु : राशि जमा करने की तिथि से 15 कार्य दिवस (शहरी और ग्रामीण क्षेत्र)

अति उच्च दाब कनेक्शन हेतु : राशि जमा करने की तिथि से 30 कार्य दिवस (शहरी और ग्रामीण क्षेत्र)

iv. सक्षम अधिकारी अपने क्षेत्र के विद्युत कार्यालयों से प्राप्त प्राक्कलन/भार स्वीकृति प्रकरण स्वीकृत करेगा और इसकी सूचना संबंधित विद्युत कार्यालय को प्रेषित करेगा। संबंधित विद्युत कार्यालय इसकी सूचना माँग पत्र सहित आवेदक को भुगतान हेतु देगा। जारी किए जाने वाले माँग पत्र में स्वीकृत प्राक्कलन की राशि/सुपर विजन राशि, सुरक्षा निधि और सर्विस कनेक्शन राशि का स्पष्ट उल्लेख होगा।

31-